



Government of Rajasthan
Office of The Principal & Controller Govt. Medical College & Attached Hospital,
Bharatpur (Raj.)

EMAIL – principal.mc.bharatpr@rajasthan.gov.in

क्रमांक : मेडिकल कॉलेज/भरतपुर./राज/भर्ती/2019/66

दिनांक : 15/01/2019

आदेश

इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक संस्था/राज./2018/732 दिनांक 10.09.2018 एवं राज./संस्था/मेडिकल कॉलेज/2018/909 दिनांक 06.10.2018 को संशोधित विज्ञप्ति के अनुसरण में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र एवं आयोजित किये गये साक्षात्कार (Walk-in-interview) में से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों (JR/SR) को उनके नाम के समक्ष अंकित पद पर एवं नीचे अंकित भातों पर एतद् द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

S.N	NAME OF CANDIDATE	POST	DEPARTMENT
1	Dr. Rohitash Singh	Junior Resident	General Medicine

रेजीडेंट के कर्तव्य एवं शर्त :-

1. जो अभ्यर्थी चयन से पूर्व स्थायी/अस्थाई तौर पर अन्य विशिष्टता/समान विशिष्टता में कार्यरत हैं, उन्हें इस चयन पर कार्यग्रहण करने से पूर्व उस विशिष्टता से कार्यमुक्त होना होगा।
2. रेजीडेंट (सीनियर/जूनियर) के पद पर कार्य पूर्ण कालीन रेजिडेंट के रूप में करना होगा। किसी भी तरह की निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी, ऐसा पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
3. सीनियर रेजीडेंट को स्नातक विद्यार्थियों के शिक्षण प्रशिक्षण कार्य में भाग लेना होगा। जूनियर रेजिडेंट को आवश्यकतानुसार आकस्मिक विभाग सहित दूसरे विभागों में भी पदस्थ किया जा सकेगा।
4. एम.सी.आई. निरीक्षण के समय अनुपस्थित रहने या एम.सी.आई. निरीक्षक द्वारा अयोग्य पाये जाने पर सेवाएँ तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेगी।
5. कार्यग्रहण के समय अभ्यर्थी को इस आशय का घोषणा पत्र (On Stamp Paper of Minimum Value Rs. 100) प्रस्तुत करना होगा कि-

अ. उसे किसी भी सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा संस्था में नियोजन प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया गया है।

ब. कदाचार के कारण पूर्व में उसकी सेवाएँ समाप्त नहीं की गई हैं।



Government of Rajasthan
Office of The Principal & Controller Govt. Medical College & Attached Hospital,
Bharatpur (Raj.)

EMAIL – principal.mc.bhartpr@rajasthan.gov.in

स. उसके द्वारा पूर्व में की गई Residency (Senior Residency for post of SR and Junior Residency for post of JR) की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं है।

द. उसने शैक्षणिक सत्र 2018-19 के दौरान दिनांक 31.07.18 को या उसके बाद एम.सी.आई. निरीक्षण में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है।

6. अभ्यर्थियों को सात कार्यदिवसों के भीतर ही अपनी उपस्थिति इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी का चयन निरस्त माना जावेगा। तथा उनकी कार्यवधि उनकी उपस्थिति दिनांक से अधिकतम एक वर्ष के लिये होगी।
7. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों पर राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी पर्सनल्स (रिक्रूमेंट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्प्लॉएमेन्ट रूल्स 2017 लागू होंगे।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
राजकीय मैडीकल कॉलेज, भरतपुर

क्रमांक : राज./संस्था/मैडिकल कॉलेज/2019/66

दिनांक : 15/01/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान समन्वयक एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान जयपुर
2. अधीक्षक आरबीएम/जनाना चिकित्सालय, भरतपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ
4. संबंधित कर्मचारी को वास्ते पालनार्थ
5. नोटिस बोर्ड
6. कार्यालय प्रति।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
राजकीय मैडीकल कॉलेज, भरतपुर